वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग– 1
(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरें जाने के लिए)

1. **परियोजना का विवरण :–**

(i) **अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण:–**

मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम– तराईमाल, ब्लाक– तमनार जिला– रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला के नैसर्गिक स्त्रोत से जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर छ.ग. के पृ.क्र. 2576/342/जंस./तशा/औजप्र/05/डी–4 अटल नगर रायपुर दिनांक 20.06.2019 द्वारा दी गयी है।

प्रस्तावित परियोजना मे सम्मिलित वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	Divison & District	Range	Village Name	Land Type	Comptt. No.	Area (In ha.)
01.	Raigarh	Tamnar	Taraimal	Reserve Forest	834	0.078
02	Raigarh	Tamnar	Ujalpur	Orange Area	815	0.039
Grand Total (In ha.)						**0.117**

(ii) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस – पास के वनों को दर्शाने वाला मैप – **संलग्न है।**

(iii) परियोजना की लागत – **परियोजना की कुल लागत रूपये 25.00 लाख है।**

(iv) वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य – मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम– तराईमाल, ब्लाक– तमनार जिला– रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला के नैसर्गिक स्त्रोत से जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर छ.ग. के पृ.क्र. 2576/342/जंस./तशा/औजप्र/05/डी–4 अटल नगर रायपुर दिनांक 20.06.2019 द्वारा दी गयी है।

(v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) – **आवश्यकता नही है।**

(vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है – नहीं

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :–

S.No.	Component	Forest land	Non Forest land	Total land
01	Water Supply Pipeline	0.117	0.000	0.117
	Grand Total:-	**0.117**	**0.000**	**0.117**

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :– नहीं।

(i) परिवारों की संख्या – निरंक।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या – निरंक।

(iii) पुनर्वास योजना संलग्न किये जाने के लिये – निरंक।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) :– **नही।**

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) :– **संलग्न है।**

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा :–

(i) जल आबंटन/प्रदाय करने की छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृति की प्रति।

(ii) नवीन चेक लिस्ट के अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न।

(iii) कंडिका 5 का वचन पत्र।

(iv) डिमांड ड्राफ्ट राशि रु. 6000.00 पंजीयन शुल्क

(v) डिमांड ड्राफ्ट राशि रु. 29000.00 प्रसंस्करण शुल्क

M/s. Singhal Energy Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

तिथि – 19/11/2020

स्थान – रायगढ़

(जी.के. मिश्रा)

मैनेजर

मेसर्स सिंघल एजनी प्रा.लि.

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक................/342/जसं/तशा/औजप्र/05/डी–4. अटल नगर, दिनांक / /2019

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः– **मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि., रायपुर द्वारा जिला–रायगढ़, ब्लाक–तमनार, ग्राम–तराईमाल के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से 0.764 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन/प्रदाय की स्वीकृति।**

संदर्भः– 1. प्र.अ. का पत्र क्र. 3451577/औजप्र/छ.ग./018/691–692, दि. 10.01.2018.
2. शासन का पत्र क्र–5406–5407/7/जसं/तशा/औजप्र/01/डी–4, दि 20.09.2018.
3. मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर का पत्र क्रमांक–305/कार्य/डी–5, दिनांक 05.03.2018.

–––00–––

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, राज्य जल संसाधन उपयोग समिति, छत्तीसगढ़ की 45वीं बैठक दिनांक 06.09.2018 मे लिये गये निर्णयानुसार, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि., रायपुर (संस्थान) द्वारा जिला–रायगढ़, ब्लाक–तमनार, ग्राम–तराईमाल के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. केप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला के नैसर्गिक स्रोत से 0.764 मि.घ.मी. वार्षिक जल आबंटन/प्रदाय करने की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

1. प्रकरण में औद्योगिक/पेयजल उपयोग हेतु जल आबंटन/आरक्षण/स्वीकृति के एवज में कमिटमेंट चार्जेस बाबत शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 की कंडिका क्र.–1 के अनुसार संस्थान द्वारा कमिटमेंट चार्जेस रू. 19,100.00 (रू. उन्नीस हजार एक सौ मात्र) की भुगतान की गई राशि, नियमित जल कर या अन्य किसी राशि मे समायोजित नहीं होगी, और न ही वापसी योग्य होगी।
2. संस्थान को ग्रीष्मकाल के कम से कम 4 माह (मार्च से जून तक) की जल आवश्यकता (0.255 मि.घ.मी.) के अनुसार जल क्षति 0.089 मि.घ.मी. [वाष्पीकरण, सीपेज अवशोषण (absorption) आदि हेतु लगभग 35%] सहित कुल 0.344 (0.255+0.089) मि.घ.मी. जल के संग्रहण हेतु अपने संयंत्र परिक्षेत्र में बैलेसिंग रिजरवायर (तालाब) का निर्माण स्वयं के व्यय पर अनिवार्य रूप से करना होगा। इसमें, केवल मानसून अवधि में नाले के बहाव से जल का भरण किया जायेगा। इसके साथ ही, प्रकरण में आबंटित 0.764 मि.घ.मी. वार्षिक के अतिरिक्त, उक्त जल क्षति की मात्रा 0.089 मि.घ.मी. वार्षिक हेतु भी जल–कर देय होगा।
3. संस्थान, गेरवानी नाला से जल आहरण हेतु निर्धारित स्थल से अपने संयंत्र स्थल तक जल ले जाने हेतु आवश्यकतानुसार व्यवस्था (इंटेकवेल का निर्माण, पाईप लाईन बिछाना आदि) जल संसाधन विभाग के अनुमोदन उपरांत स्वयं के व्यय पर करेगा।
4. प्रकरण में प्रदायित जल की मात्रा के माप हेतु पंप हाऊस में मानक जल मापन यंत्र की स्थापना संस्थान को स्वयं के व्यय पर करनी होगी। मानक जल मापन यंत्र को विभाग द्वारा सील कर इसका नियंत्रण अपने पास रखा जावेगा। विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पम्प हाऊस में प्रवेश हमेशा सुलभ रहेगा। इसके साथ ही, मानक फ्लोमीटर का समय–समय पर जल संसाधन विभाग के सक्षम व संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति मे केलीब्रेशन कराया जायेगा।

2

5. गेरवानी नाला के नैसर्गिक स्त्रोत से जल ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के लिए भू-अर्जन एवं संबंधित जो भी समस्या आयेगी उसका निराकरण संस्थान स्वयं के व्यय पर स्वयं करेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति-2007 (यथा संशोधित) का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. संस्थान द्वारा वास्तविक जल आहरण के आधार पर स्वीकृत जल-मात्रा का आंकलन एवं समीक्षा समय-समय पर शासन द्वारा की जा सकेगी।
7. गेरवानी नाला से जल आहरण के प्रस्तावित स्थल के ऊपर एवं नीचे जल उपयोग हेतु जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा। संस्थान द्वारा वांछित जल के अतिरिक्त जल के उपलब्ध होने पर उसके उपयोग हेतु भी जल संसाधन विभाग स्वतंत्र होगा।
8. संस्थान, स्थानीय लोगों के जल उपयोग जैसे पेयजल एवं निस्तार आदि हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।
9. संस्थान, उपयोग के पश्चात अपने संयंत्र से निस्सारित जल का रि-साइकलिंग करके इसका उपयोग करेगा एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निर्धारित मानकों एवं नियमों के अनुसार उपचार कर निस्सारित करेगा, ताकि क्षेत्र में जल प्रदूषण की कोई समस्या उत्पन्न न हो।
10. संस्थान को जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व विभाग के निर्धारित प्रारूप-7(क) में मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर के निर्देशानुसार/अनुमोदन उपरांत अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
11. संस्थान द्वारा स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं केप्टिव पॉवर प्लांट के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु आबंटित जल का उपयोग या दुरूपयोग नहीं करेगा।
12. संस्थान को शासन द्वारा नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक जल उपयोग हेतु समय-समय पर निर्धारित जल-दर पर जल कर एवं कमिटमेंट चार्जेस का नियमानुसार भुगतान जल संसाधन विभाग को अनिवार्य रूप से करना होगा एवं कमिटमेंट चार्जेस के संबंध में शासन द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 द्वारा जारी विभागीय नीति का पालन संस्थान के लिए बंधनकारी होगा।
13. प्रकरण में जल प्रदाय की यह स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध आँकडों/परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य में किसी कारणवश नाले के जल प्रवाह में कमी होने पर शासन इसके लिए जवाबदेह नहीं रहेगा एवं इस संबंध में शासन के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा मान्य योग्य नहीं होगा।
14. शासन द्वारा कमिटमेंट चार्जेस के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 20.04.2007 के अनुसार संस्थान को इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के दिनांक से 02 वर्षों के अंदर जल का उपयोग प्रारंभ करना होगा। इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा यदि जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उपयोग प्रारंभ करने की समय-सीमा अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए और बढाई जा सकेगी एवं इस हेतु प्रथम वर्ष में आबंटित/आरक्षित जल की संपूर्ण मात्रा के 5% अंश एवं दूसरे वर्ष में 10% अंश की जल-कर राशि अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस के रूप में संबंधित वर्श की समाप्ति के पश्चात् 3 माह के अंदर जमा करनी होगी। अतिरिक्त कमिटमेंट चार्जेस की निर्धारित अधिकतम 2 वर्ष की समय-सीमा के अनुसार भुगतान करने के पश्चात् भी यदि संस्थान द्वारा जल का उपयोग प्रारंभ नहीं किया जाता है एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित समस्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो तत्काल प्रभाव से जल आबंटन/आरक्षण स्वयमेव समाप्त माना जायेगा एवं शासन को इस जल को अन्य किसी के उपयोग हेतु आबंटित/ आरक्षित करने की स्वतंत्रता होगी।

सहपत्र :-शून्य।

18/6/19
(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

\\10.132.49.133\d\WRD-2017\Hindi\Hindi Letter\D4F4\F-4.doc

पृ.क्र. 2576 / 342 / जसं / तशा / औजप्र / 05 / डी–4, अटल नगर, दिनांक 20/6/2019

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, ज.सं.विभाग, मंत्रालय, अटल नगर की ओर उनकी नोटशीट क्र. 17 / OFF / मंत्री / जसं. / आ. / कृ.प.म. / धा., दिनांक 28.01.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रिंग रोड क्र.–1, तेलीबांधा, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, रायगढ़ एवं
5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़।

   की ओर संदर्भित पत्रों के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. निदेशक, मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि., सिंघल हाऊस–10, सेक्टर–1, शंकर नगर, रायपुर–492007, ओर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, रायपुर के पत्र क्र.–382 / एसआईपीबी / 2016 / 126, दिनांक 25.02.2017 के माध्यम से प्राप्त आपके आवेदन पत्र दिनांक–निरंक के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. आदेश फोल्डर।

सहपत्र :–शून्य।

18/6/19

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

\\10.132.49.133\d\WRD-2017\Hindi\Hindi Letter\D4F4\F-4.doc

वचन–पत्र

प्रस्तावित मेसर्स सिंघल एनर्जी प्रा.लि. ग्राम– तराईमाल, ब्लाक– तमनार जिला– रायगढ़ के निकट स्थापित स्पंज आयरन प्लांट एवं प्रस्तावित 10 मे.वा. कैप्टिव पॉवर प्लांट हेतु गेरवानी नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु कुल 0.117 हे. वन भूमि के परिक्षेप्य में प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा –

क्षेत्र आदि में वनीकरण करने हेतु मेसर्स सिंघल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड़ वचनबद्ध है।

(जी.के. मिश्रा)
मैनेजर
मेसर्स सिंघल एजनी प्रा.लि.

आदाता के खाते में A/C PAYEE ONLY

IDBI BANK

आईडीबीआई ओमनीपे/IDBI OMNIPAY

Raipur - Specialised Corporate - 1st Floor, Simiran Towers, Pandri Road, Opp. LIC Building, Raipur, Chhatisgarh - 492001

जारी करने की तारीख से तीन महीने के लिए मान्य VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

दिनांक DATE: D D M M Y Y Y Y

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER RAIGARH को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Twenty Nine Thousand only प्राप्त मूल्य के लिए

अदा करें। ₹ *****29,000.00

खाता सं A/c No. 39130100010050

* Not Over INR. 29,000.00 *

Pur:SINGHAL ENERGY PRIVATE LIMITED

अदा करें/FOR VALUE RECEIVED

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/For IDBI BANK LTD.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory क्रम सं./Sr. No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory क्रम सं./Sr. No.

Payable at par at all IDBI Bank Branches in India

⑈005789⑈ 000259000⑆ 039100⑈ 16

आदाता के खाते में A/C PAYEE ONLY

IDBI BANK

आईडीबीआई ओमनीपे/IDBI OMNIPAY

Sr. No. 5790

Raipur - Specialised Corporate - 1st Floor, Simiran Towers, Pandri Road, Opp. LIC Building, Raipur, Chhatisgarh - 492001

जारी करने की तारीख से तीन महीने के लिए मान्य VALID FOR THREE MONTHS FROM THE DATE OF ISSUE

दिनांक DATE: 0 8 0 4 2 0 1 9 (D D M M Y Y Y Y)

ON DEMAND PAY DIVISIONAL FOREST OFFICER RAIGARH को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Six Thousand only प्राप्त मूल्य के लिए

अदा करें। ₹ ******6,000.00

खाता सं A/c No. 39130100010050

* Not Over INR. 6,000.00 *

Pur:SINGHAL ENERGY PRIVATE LIMITED

अदा करें/FOR VALUE RECEIVED

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/For IDBI BANK LTD.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory क्रम सं./Sr. No.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory क्रम सं./Sr. No.

Payable at par at all IDBI Bank Branches in India

⑈005790⑈ 000259000⑆ 039100⑈ 16

7